झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–415 वर्ष 2017

वरिष्ठ मंडल कार्मिक पदाधिकारी, दक्षिण पूर्वी रेलवे, रांची डिवीजन, रांची के माध्यम से भारत संघ .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

अजय कुमार सिंह .... प्रतिवादी

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री एच0सी0 मिश्रा**

माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक

याचिकाकर्त्ता के लिए :–मेसर्स गोपाल के0 सिन्हा, देवेश कृष्ण, अधिवक्तागण

3 / 23.02.2017 दक्षिण पूर्वी रेलवे के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. रेलवे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच, सर्किट कोर्ट, रांची द्वारा ओ0ए0 / 051 / 00231 / 2015 में पारित आदेश से व्यथित है, जिसके तहत, निजी प्रतिवादी जो वरिष्ठ सहायक लोको पायलट के रूप में काम कर रहा था और उनके कान में कुछ बीमारियों के कारण, उन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्जरी के लिए सलाह दी गई थी, लेकिन सर्जरी कराने से इनकार कर दिया था, और वैकल्पिक नौकरी के लिए प्रार्थना की थी, ने आवेदन दायर किया जिसको केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तो में निपटाया गया थाः–

''उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि चूंकि आवेदक सर्जिकल सुधार कराने के लिए उत्सुक नहीं है, इसलिए उत्तरदाता उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें चिकित्सकीय रूप से उनका फिर से आकलन करने और मौजूदा नियमों के अनुसार जहाँ भी उन्हें फिट पाया जाता है वहाँ उन्हें निचले पद पर रखकर उनकी फिटनेस के अनुसार उन्हें श्रेणी से हटाने का पूरा अधिकारी है। तद्नुसार, ओ0ए0 को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख के चार महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त अवलोकन के आलोक में आवेदक के मामले पर फिर से विचार करने के लिए प्रतिवादी नंबर 4 को निर्देश के साथ निपटाया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।''

3. याचिकाकर्त्ता दक्षिण पूर्व रेलवे इस आदेश से व्यथित है, और विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि निजी प्रतिवादी ने अपनी बीमारी के लिए सर्जरी कराने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह चिकित्सा आधार पर वैकल्पिक रोजगार के प्रमाणीकरण के संबंध में निर्णय के लिए हकदार नहीं है क्योंकि वह भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 561 (बी) के अनुसार उपचार के सभी तरीकों को समाप्त करने के बाद ही वे इसके लिए हकदार हैं।

4. हमें कोई कारण नहीं दिखता है कि रेलवे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से क्यों व्यथित है। यहां तक कि याचिकाकर्त्ता रेलवे के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, निजी प्रतिवादी चिकित्सा आधार पर वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रमाणन के संबंध में निर्णय के लिए हकदार है, लेकिन उपचार के सभी तरीकों को समाप्त करने के बाद ही। इस प्रकार, भले ही प्रतिवादी सर्जिकल उपचार से इनकार कर दे, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि उपचार के सभी तरीकों को समाप्त करने के बाद भी बीमारी बनी हुई है, और उसके मामले पर विचार किया जा सकता है।

5. यहाँ तक कि भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल, 2000 के पैराग्राफ 561 (बी) में, जैसा कि रेलवे के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखाा गया है, उपचार के सभी तरीकों को समाप्त किए बिना, चिकित्सा आधार पर वैकल्पिक रोजगार के बारे में किसी भी निर्णय के लिए कोई रोक नहीं प्रतीत होती है, भले ही प्रतिवादी मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित उपचार के लिए मना कर देता है, यह बहुत अच्छी तरह से माना जा सकता है कि उपचार के सभी तरीकों को समाप्त करने के बाद भी उसकी बीमारी बनी हुई है, और यदि उस बीमारी के साथ, वह किसी भी वैकिल्पक नौकरी के लिए फिट है, तो उसके लिए विचार किया जा सकता है।

6. इस प्रकार, हमें याचिकाकर्त्ता दक्षिण पूर्व रेलेवे को आक्षेपित आदेश से व्यथित होने का कोई आधार नहीं पाते हैं। तद्नुसार, हम निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

7. यह रिट एप्लिकेशन तद्नुसार, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, प्रवेश चरण में ही निपटाया जाता है।

(एच0सी0 मिश्रा, न्याया0)

((डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)